RITHOLA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2013/फाल्गुन 13, 1934
No. 468] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2013/PHALGUNA 13, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2013

का.आ. 505(अ).— यत: कैन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खण्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 14.000 किमी से 182.000 किमी तक (नसीराबाद-चित्तौड़गढ़ सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 114.000 किमी से 220.000 किमी (उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

अत: यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियम, 1997 के नियम 3 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 3289 (अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के 159.000 किमी से 168.500 किमी तक 168.500 किमी से प्रारम्भ करके और राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 213.000 किमी पर संविलयन करते हुए कुल लम्बाई 29.600 किमी (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) हेतु चार लेन के चित्तौड़गढ़ बाइपास खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर इसकी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों और श्रेणी के वाहनों पर शुल्क लगाने और संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था ।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय चौथा तल, बिरला टावर, 25, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-11001, भारत में है, के साथ राजस्थान और गुजरात राज्यों में डिजाइन, निर्माण,वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर रारा-79ए के 0.830 किमी (डिजाइन चैनेज 0.00) से रारा-8 के 509.295 किमी के (डिजाइन चैनेज 555.480) किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद सेक्शन, के विकास हेतु करार किया है ।

और यतः मैसर्स जी एम आर किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड को भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 4 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2013 द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से, राजस्थान और गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-79ए के 0.830 किमी से (डिजाइन चैनेज 0.00) से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के 509.295 किमी (डिजाइन चैनेज 555.480) तक को खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

और यतः प्राधिकरण द्वारा मैसर्स जीएमआर किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख, की घोषणा की जानी है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके प्रश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 3289 (अ), तारीख 24 दिसम्बर, 2009 का अधिक्रमण करते हुए, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 9.600 किमी हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) और दस करोड़ रूपये या अधिक की लागतवाले बाइपासों के लिए "उक्त खण्ड" के नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दरों के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहित करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या संविदाकार के माध्यम से मैसर्स जीएमआर किशनगढ़ उदयपुर अहमदाबाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित किए जाने तक नीचे उल्लिखित उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की प्रति कि.मी आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन	0.65

हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पणियां:

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा के लिए ऐसे टोल प्लाजा के लिए निर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
चित्तौड़गढ़ बाइपास का 28.100 किमी (चित्तौड़गढ़ जिले में रिथोला गांव के पास)	9.600

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रूपये या अधिक की लागतवाले निम्नलिखित लम्बाई के बाईपास के उपयोग के लिए, आधार दर के डेढ़ गुणा के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा;

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास की लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है
चित्तौड़गढ़ बाइपास का 28.100 किमी (चित्तौड़गढ़ जिले में रिथोला गांव के पास)	20.000 किमी

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए (दो सौ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जायेगा, अर्थात्:-

संदेय धन राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे

पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, शुल्क की दरों में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 216.33 करोड़ रूपये हैं। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इनमें वार्षिक रूप से संशोधन किया जाएगा। 31.03.2012 तक की गयी उगाही से कुल 83.85 करोड़ रूपये की राशि उपयोगकर्ताओं से वसूल की गई ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/471/10-11/सीओ/जीसी-चित्तौड़गढ़ बाईपास]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2013

S.O. 505(E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O 1192 (E) dated 3rd December, 2001, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 14.000 to kilometer 182.000 (Nasirabad-Chittorgarh Section) of National Highway No. 79 and from kilometer 114.000 to kilometer 220.000 (Udaipur-Chittorgarh Section) of National Highway No. 76 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highway Act 1956 (48 of 1956) read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 3289 (E) dated 24th December, 2009, authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four-laned Chittorgarh Bypass Section from kilometer 159.000 to kilometer 168.500, taking off at km 168.500 of National Highway No. 79 and merging at km 213.000 of National Highway No. 76, total length being 29.600 km (hereinafter referred to as the "said stretch") in the State of Rajasthan at the rates and category of vehicles specified in its schedule.

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement with M/s GMR Kishangarh Udaipur Ahmedabad Expressway Limited having its registered office at 4th Floor, Birla Tower, 25, Barakhamaba Road, New Delhi – 110001, India for the development of Kishangarh Udaipur Ahmedabad section from km 0.830 of NH-79 A (Design Chainage 0.00) to km 509.295 of NH-8 (Design Chainage 555.480) in the states of Rajasthan & Gujarat on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

And whereas M/s GMR Kishangarh Udaipur Ahmedabad Expressway Limited has been authorized for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch from km 0.830 of NH-79 A (Design Chainage 0.00) to km 509.295 of NH-8 (Design Chainage 555.480) in the states of Rajasthan & Gujarat from the date of Commercial Operation vide Government of India notification bearing S.O. No. 4(E) dated 1st January, 2013.

And whereas, the Commercial Operation Date for M/s GMR Kshangarh Udaipur Ahmedabad Expressway Limited is yet to be declared by the Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing no. S.O. 3289 (E) dated 24th December, 2009, the Central Government hereby levies the fee at the base rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 9.600

km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections and at one and half times the base rates for bypasses costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of the "said stretch" and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, mentioned below till the Commercial Operation Date of M/s GMR Kishangarh Udaipur Ahmedabad Expressway Limited is declared by the Authority:

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes : -

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 28.100 of Chittorgarh Bypass (near Rithola village in Chittorgarh district)	9.600

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass having following length costing Rs. 10 crore or more at one and half times the base rate, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable
Km 28.100 of Chittorgarh Bypass (near Rithola village in Chittorgarh district)	20.000 km

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 200.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2012-13 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. The fee rates shall be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 216.33 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 83.85 crores has been recovered from the user fee realized till 31.03.2012.

[F. No. NHAI/13013/471/10-11/CO/GC-Chittorgarh Bypass]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.